

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बंदीकु

..... केदारनाथ बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 IR Act 76/2021 सन्

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज "प्रशासन गाँवों के संग" अधिनियम, 2021</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

11/10/2024

पतावली प्रशासन गाँवों के संग अधिनियम 2021
 सिविल प्रा.पं. कोसवा पेश हुई। प्रार्थी केदारनाथ
 शर्मा द्वारा राजस्व लिफ्ट में असुद्ध नाम केदारनाथ
 के स्थान पर केदारनाथ शर्मा का विनिर्देश किया।
 प्रार्थी प्रा.पं. पट रिपोर्ट परवाली हल्डा,
 भु.श.नि.गुदिया, मायब तहसीलदार गुदाउला
 की रिपोर्ट ली गयी। सिविल में उपस्थित सरपंच
 ग्रामपंचायत कोसवा एवं उपस्थित भायजन से प्रार्थी
 के सही नाम के बारे में जातकारी ली गयी सभी ने
 सही नाम केदारनाथ होना बताया।

अतः राजस्व लिफ्ट जमावंदी ग्राम
 जादवाडा ब्राह्मणान तहसील संवत् 2073-2076
 के खाता सं. 59-55 के जित 21 रुक 10.51 हे
 में दर्ज केदारनाथ पुत्र कुन्दालाल हे 1/4 जालि
 ब्राह्मण सा.पेह खेत दाऊ के स्थान पर केदारनाथ पुत्र
 कुन्दालाल हे 1/4 जालि ब्राह्मण सा.पेह खेत दाऊ दर्ज
 किया जावे। शेष राजस्व लिफ्ट इ-जापान यमावत
 रहेगी। तहसीलदार बस्ना, मायब तहसीलदार गुदाउला
 नियम अनुसार राजस्व लिफ्ट में अमल परामर्श के
 पुराना दर्ज रजिस्टर केक का तारीख दाखिल
 दस्ता है।

निर्णय सुनाया गया

उप जिला कलेक्टर
 बंदीकुई (दौसा)
 प्रशासन गाँवों के संग अधिनियम-2021
 सिविल ग्राम पंचायत... 11/10/24

